RPF SI & CONSTABLE 2024

रेल रक्षक बैच

POLITY

संविधान की विशेषताएं

PART-02



LIVE STREAMING 13-09-2024 11:00 AM

संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष

समिति	अध्यक्ष
प्रारूप समिति	डा. भीम राव अम्बेडकर
संघ संविधान समिति*	जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
झंडा समिति*	डा० राजेन्द्र प्रसाद
रियासत समिति (देशी रियासतों से वार्ता के लिए)	डा० राजेन्द्र प्रसाद
देशी रियासत समझौता समिति *	डा. राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	डा. राजेन्द्र प्रसाद
नियम समिति	डा. राजेन्द्र प्रसाद
संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरु

कार्य संचालन समिति'	के. एम. मुन्शी
मूल अधिकार सम्बन्धी उपसमिति	जे.बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उपसमिति	एच.सी. मुखर्जी
सर्वोच्च न्यायालय समिति	एस. वारदाचारियार
राज्य समिति	जवाहर लाल नेहरु
संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति	जी. वी. मावलंकर
आवास समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैय्या
प्रत्यय-पत्र संबंधी समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
अल्पसंख्यक उपसमिति	एच.सी. मुखर्जी

संविधान की विशेषतायें : एक दृष्टि में

Features of the Constitution: At a Glance

विशालतम एवं विस्तृत संविधान

Largest and Detailed Constitution

लिखित संविधान Written Constitution

प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य

Sovereign, Socialist, Secular Democratic Republic

संसदीय शासन प्रणाली* Parliamentary Government System*

मूल अधिकार Fundamental Rights

नीति निर्देशक तत्व Directive Principles of State Policy

मूल कर्तव्य Fundamental Duties

स्वतंत्र न्यायपालिका* Independent Judiciary*

✓नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण

A unique blend of flexibility and rigidity

✓केन्द्राभिमुख संविधान Centrally oriented constitution

✓एकल नागरिकता* Single citizenship*

केंद्राभिमुख संविधान

Art. 1 ⇒ भारत / इंडिया "राज्यों का संघ"।

प्रो० के० सी० हीयर ⇒ भारतीय संविधान अर्द्धसंघीय है। (Quasi-Federal)

सर आइवर जैनिंग्स → यह रबर जैसा संघ जिसमें केंद्रीयकरण की ओर प्रवृत्त है।

⇓

भारतीय संघीय / एकात्मक (Federal / unitary) → अमेरिका

संघात्मक लक्षण (features) → ① लिखित संविधान (written) ✓
② संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of constitution) ✓

③ शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)

④ दोहरी नागरिकता (Dual citizenship) (ये भारत में नहीं है।)

⑤ स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent)

→ एकात्मक लक्षण (Unitary features)

(1) एकहरी नागरिकता (Single citizenship)

(2) आपातकालीन उपबंध (Emergency Provision)

(3) राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के कहने पर (Art. 155)

(4) अखिल भारतीय सेवायें (Art. 312 → All India services)

(5) नये राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति (Art. 3)

वयस्क मताधिकार Adult suffrage

संविधान की सर्वोच्चता* Supremacy of the Constitution*

आपात कालीन उपबन्ध Emergency provisions

ग्राम पंचायतों की स्थापना Establishment of Gram Panchayats

राष्ट्र के प्रतीक (National Symbol)

राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। तिरंगा की सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है

२५

There are three horizontal stripes of saffron colour at the top, white in the middle and green at the bottom. The ratio of length and width is 3:2 respectively. There is a dark blue circle in the middle of the white strip of the tricolor

जिसमें 24 तिलियाँ हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तम्भ सिंह स्तम्भ से लिया गया है। 22 जुलाई, 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया।

Which has 24 spokes. This Chakra has been taken from the Ashoka Pillar Lion Pillar located in Sarnath. On 22 July 1947, the Indian Constituent Assembly adopted the national flag tricolor.

राष्ट्रीय चिन्ह (National Emblem)

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तम्भ के शीर्ष पर चार सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किये हुए है।

The national emblem of India is a replica of Ashoka's lion pillar located in Sarnath. There are four lions on top of the original pillar, facing each other.

चक्र के दायीं ओर एक साड़ है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बायीं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है।

On the right side of the wheel is a bull, which is a symbol of an agrarian economy. On the left side of the wheel is a horse, which is a symbol of indomitable power, hard work and mobility.

फलक के नीचे मुण्डकोपनिषद् का सूत्रवाक्य 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी, 1950 को अपनाया।

मुण्डकोपनिषद्

Below the panel, the aphorism of Mundakopanishad 'Satyameva Jayate' is inscribed in Devanagari script. The Government of India adopted it as the national emblem on January 26, 1950.

राष्ट्रगान (National Anthem)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला भाषा में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।

The Hindi version of 'Jana-Gana-Mana', originally composed and written in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted as the national anthem of India by the Constituent Assembly on January 24, 1950.

यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेण्ड है।

It was first sung on 27 December 1911 at the 26th session of the Indian National Congress in Kolkata. The duration of singing the national anthem is about 52 seconds.

राष्ट्र गीत (National Song)

बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन (कलकत्ता) में गाया गया था। इसे 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित 'आनन्दमठ' नामक उपन्यास से लिया गया है।

Bankim Chandra Chatterjee composed the song 'Vande Mataram' in Sanskrit, this song was first sung in the 12th session of the Indian National Congress (Calcutta) in 1896. It was adopted as the national song on January 24, 1950. This song is taken from the novel 'Anandamath' written in Bengali language.

राष्ट्रीय पशु (National Animal)

बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन् 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम्भ किया गया। इससे पहले 'शेर' राष्ट्रीय पशु था।

Tiger is the national animal of India. In 1973, along with declaring Bengal Tiger as the national animal, Project Tiger was started to save tigers in India. Earlier, 'Lion' was the national animal.

राष्ट्रीय पक्षी (National Bird)

भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी सन् 1963 ई. में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका जन्तु वैज्ञानिक नाम- 'पावो क्रिस्टेटस' है।

The Indian Peacock is the national bird of India. It was declared the national bird on 26 January 1963. The Peacock enjoys full protection under the Indian Forest and Wildlife (Protection) Act 1972. Its scientific name is 'Pavo cristatus'.

(राष्ट्रीय पुष्प (National Flower)

कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है।

Lotus is the national flower of India.

राष्ट्रीय वृक्ष (National Tree)

बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है।

The banyan has been adopted as the national tree of India.

राष्ट्रीय फल (National Furit)

⇓

आम (Mango)

राष्ट्रीय नदी (National River)

गंगा नदी भारत की सबसे लम्बी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किमी. की दूरी तय करती है। इसका उद्भव उत्तराखण्ड के हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है।

Ganga river is the longest river in India, which flows over mountains, valleys and plains covering a distance of 2525 km. It originates from the Gangotri glacier in the Himalayas of Uttarakhand where it is known as Bhagirathi.

राष्ट्रीय मुद्रा : प्रतीक चिन्ह National currency : symbol

भारतीय रुपये को 15 जुलाई, 2010 को डॉलर, यूरो, पाउण्ड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के R को मिलाकर ₹ बनाया गया है। इस प्रतीक के डिजाइनर डी. उदय कुमार है।

The Indian rupee has got a new symbol on July 15, 2010, like the dollar, euro, pound and yen. The new symbol of the rupee has been created by combining the letter 'र' of the Devanagari script and the letter R of the Roman script. The designer of this symbol is D. Uday Kumar.

राष्ट्रीय जलीय जीव National Aquatic Animal

मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में 'गंगा डॉल्फिन' को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था।

The freshwater dolphin is the national aquatic animal of India. On 18 May 2010, the Ministry of Environment and Forests of India declared the 'Ganga Dolphin' as the national aquatic animal of India.

नये राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष
आन्ध्र प्रदेश *	1 अक्टूबर, 1953 ई.
गुजरात *	1 मई, 1960 ई.
नगालैंड	1 दिसम्बर, 1963 ई.
हरियाणा	1 नवम्बर, 1966 ई.
हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971 ई.
मेघालय मणिपुर, त्रिपुरा *	21 जनवरी, 1972 ई.
सिक्किम *	16 मई, 1975 ई.

मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987 ई.
गोवा	30 मई, 1987
छत्तीसगढ़ *	1 नवम्बर, 2000
उत्तराखण्ड *	9 नवम्बर, 2000
झारखण्ड *	15 नवम्बर, 2000
तेलंगाना *	2 जून, 2014

स्वतन्त्रता पश्चात गठित अन्तरिम मंत्रिमण्डल

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	अध्यक्ष
पण्डित जवाहर लाल नेहरू	उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश, कामनवेल्थ सम्बन्ध तथा वैज्ञानिक शोध
सरदार बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री
डा. भीमराव अम्बेडकर	विधि मंत्री
सरदार बलदेव सिंह	रक्षामंत्री
डा. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य तथा कृषि मंत्री

मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा मंत्री
डा. जान मथाई	रेलवे एवं परिवहन मंत्री
बाबू जगजीवन राम	श्रम मंत्री
सी. एच. भाभा	वाणिज्य मंत्री
रफी अहमद किदवई	संचार मंत्री
राजकुमारी अमृता कौर	स्वास्थ्य मंत्री
आर. के षडमुख चेट्टी	वित्त मंत्री
डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री
एन.वी. गाडगिल	कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री

संविधान की विशेषतायें : एक दृष्टि में
Features of the Constitution: At a glance

विशालतम एवं विस्तृत संविधान*

Largest and detailed constitution*

लिखित संविधान Written constitution

प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य

Sovereign, socialist, secular democratic republic

संसदीय शासन प्रणाली*

Parliamentary system of government*

मूल अधिकार Fundamental rights

मूल कर्तव्य Fundamental duties

नीति निर्देशक तत्व Directive principles of state policy

स्वतंत्र न्यायपालिका* Independent judiciary*

नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण

Unique blend of flexibility and rigidity

केन्द्राभिमुख संविधान Centre-oriented constitution

एकल नागरिकता* Single citizenship*

वयस्क मताधिकार Adult suffrage

संविधान की सर्वोच्चता* Supremacy of the constitution*

आपात कालीन उपबन्ध Emergency provisions

ग्राम पंचायतों की स्थापना Establishment of village panchayats

भारतीय संविधान के स्त्रोत sources of indian constitution

संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी,

At the time of drafting the Constitution, the Constituent Assembly studied the constitutions of about 60 countries and adopted their good points which were suitable to Indian conditions.

नि:संकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है-

It was accepted without hesitation. However, the Government of India Act 1935 has had the greatest influence on the Indian Constitution. Some of the major provisions adopted from other countries in the Indian Constitution are as follows-

ब्रिटिश संविधान से From the British Constitution

संसदीय शासन पद्धति* Parliamentary system of government*

द्विसदनीय व्यवस्था bicameral system

लोक सभा के प्रति मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु.-75 (3)

Collective responsibility of the Cabinet to the House of the People (Article 75(3)

राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक

Formal primacy of the President as the head of the nation and actual

शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होना *

Powers to be vested in the Council of Ministers*

एकल न्यायिक प्रणाली single judicial system

विधि-निर्माण की प्रक्रिया law making process

'विधि का शासन' 'Rule of Law'

एकल नागरिकता * single citizenship*

विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ

Privileges and immunities of members of the legislature

विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका

Role of the Speaker in the Legislature

संसद एवं विधानमण्डलों की प्रक्रिया

Procedure of Parliament and Legislatures

सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय

Decision of election winner based on most votes

आयरलैण्ड के संविधान (1937) से

From the Constitution of Ireland (1937)

राज्य के नीति निदेशक तत्व *

Directive Principles of State Policy*

साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्य सभा में कुल (12) सदस्यों का मनोनयन *

Nomination of total (12) members in Rajya Sabha on the basis of contribution in literature, art, science, social service *

राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल एवं पद्धति

Presidential Electoral College and Method

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (1789) से

From the Constitution of the United States (1789)

मूल अधिकार Fundamental Rights

उद्देशिका का विचार * (UPPCS : 15) Idea of Preamble * (UPPCS : 15)

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया *

Procedure for impeachment of President*

स्वतंत्र न्यायपालिका* न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त *

Independent Judiciary* Principle of Judicial Review*

लोकजनहित याचिका Public Interest Litigation

सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया

Procedure for removal of judges of Supreme Court and High Courts

उपराष्ट्रपति का पद Post of Vice President

वित्तीय आपात Financial Emergency

संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान

Provision for ratification by state legislatures in constitutional amendment

आस्ट्रेलिया के संविधान (1901) से

From the Constitution of Australia (1901)

प्रस्तावना की भाषा* Language of the Preamble*

समवर्ती सूची (UPPCS :M: 16) Concurrent List

केन्द्र राज्य सम्बन्ध * Centre-State Relations*

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

Joint Sitting of Both Houses of Parliament

कनाडा के संविधान से From the Constitution of Canada

संघीय शासन प्रणाली * Federal system of government*

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना।*

The Governor reserves the bill for the President's consideration.

सशक्त केन्द्र Strong Centre

अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त * Doctrine of Residual Powers *

राज्यों में राज्यपाल की केन्द्र द्वारा नियुक्ति

Appointment of Governor in States by the Centre

उच्चतम् न्यायालय का परामर्शी न्यायनिर्णयन

Advisory adjudication by the Supreme Court

जापान के संविधान से From the Constitution of Japan

अनु--21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

According to proce- dure established by law)*

द. अफ्रीका के संविधान से

From the Constitution of South Africa

संविधान की संशोधन पद्धति*

Method of Amendment of Constitution*

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

Election of Members of Rajya Sabha

सोवियत संघ (रूस) के संविधान से

From the Constitution of Soviet Union (Russia)

मूल कर्त्तव्य * Fundamental Duties *

प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श Judicial Ideal in the Preamble

फ्रांस के संविधान (1946) से

From the Constitution of France (1946)

गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली Republican system of government

स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धान्त

Principles of liberty, equality and fraternity

जर्मन के वीमर संविधान (1933) से

From the German Weimar Constitution (1933)

आपात उपबन्ध* Emergency Provisions*

भारत शासन अधिनियम 1935 से

From Government of India Act 1935

लगभग 250 अनु. (उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ)

About 250 articles (in the same form or with some changes)

अनुसूची - 7 के प्रमुख विषय

संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
प्रतिरक्षा*	लोक व्यवस्था	दण्ड विधि
विदेशी मामले	पुलिस (रेल व ग्राम पुलिस सहित) *	प्रक्रिया विधि
नागरिकता *	कारागार	शिक्षा*
संचार	भूमि*	यन
परमाणु ऊर्जा*	स्थानीय स्वशासन	विवाह व विवाह-विच्छेद
		कारखाने
युद्ध और शांति	प्रादेशिक लोकसेवा	मजदूर संघ

खनिज	लोक स्वास्थ्य *	जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन
बीमा*	बाजार एवं मेले	
प्रत्यर्पण	दांव (Betting) व जुआ (Gambling)	न्याय, प्रशासन
शेयर बाजार*		
संधि और करार	पशुपालन	वृत्तियाँ
रेलवे	सिंचाई*	वाट-माप
डाक व तार	गैस *	
समुद्री व हवाई मार्ग	शराब	
बंदरगाह		
	मनोरंजन व आमोद-प्रमोद	स्वच्छता व औषधालय
बैंक*		

विदेश व्यापार	भू-राजस्व या लगान	औद्योगिक विवाद
जनगणना	विद्युत पर कर	उत्तराधिकार
डाकघर बचत बैंक	पथकर	विद्युत *
स्टॉक एक्सचेंज		
मुद्रा	प्रति व्यक्तिकर	
विदेशी ऋण		
		कीमत नियंत्रण
	कृषि आय पर कर	कारखाने
रिजर्व बैंक	कृषि भूमि पर सम्पदा	खाद्य पदार्थों और अन्य
आयकर (कृषि से भिन्न) *	शुल्क	पदार्थों का अपमिश्रण

सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क निगम कर* सेवा कर* लॉट्री अवशिष्ट विषय आदि।	कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर विलासिता की वस्तुओं पर कर, आदि।	वन्य जीव जन्तुओं का संरक्षण विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय सम्पत्ति का अर्जन व अधिग्रहण आर्थिक व सामाजिक योजनायें

संयुक्त राष्ट्र संघ		जन्म-मरण पंजीकरण आदि।

नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद : एक दृष्टि में

Important articles related to citizenship: at a glance

संविधान के भाग-II में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

Provisions relating to citizenship have been made in Articles 5 to 11 in Part-II of the Constitution.

अनुच्छेद 5 : संविधान के प्रारंभ के समय जन्म, वंश, पंजीकरण तथा देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान।

Article 5: Provides for citizenship based on birth, descent, registration and naturalisation at the commencement of the Constitution.

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

Article 6: Rights of citizenship of certain persons who have migrated from Pakistan to India.

अनुच्छेद 7 : पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

Article 7: Rights of citizenship of certain persons who migrate to Pakistan.

अनुच्छेद 8 : भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

Article 8: Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.

अनुच्छेद 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करनेवाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

Article 9: Persons who voluntarily acquire citizenship of a foreign State are not citizens.

अनुच्छेद 10 : नागरिकता के अधिकारों का बने रहना।

Article 10: Continuance of rights of citizenship.

अनुच्छेद 11 : संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

Article 11: Right to citizenship to be regulated by law by Parliament.

संविधान सभा में शामिल महिलाएँ

क्र.सं	नाम	प्रतिनिधित्व
1.	सुचेता कृपलानी*	उत्तर प्रदेश
2.	विजय लक्ष्मी पंडित*	उत्तर प्रदेश
3.	पूर्णिमा बनर्जी कमला चौधरी बेगम एजाइज रसूल राजकुमारी अमृता कौर *	उत्तर प्रदेश
4.	सरोजनी नायडू *	उत्तर प्रदेश
5.	हंसा मेहता *	उत्तर प्रदेश
6.	जी० दुर्गा बाई दक्षयानी बेलायुदन*	मध्य प्रान्त

7.	अम्मु स्वामिनाथन मालती चौधरी रेणुका राय लीला राय ऐनी मस्करीनी	बिहार
8.	सुचेता कृपलानी*	बम्बई
9.	विजय लक्ष्मी पंडित*	मद्रास
10.	पूर्णिमा बनर्जी कमला चौधरी बेगम एजाइज रसूल राजकुमारी अमृता कौर *	मद्रास
11.	सरोजनी नायडू *	मद्रास
12.	हंसा मेहता *	उड़ीसा
13.	जी० दुर्गा बाई दक्षयानी बेलायुदन*	प० बंगाल

14.	अम्मु स्वामिनाथन मालती चौधरी रेणुका राय लीला राय ऐनी मस्करीनी	प० बंगाल
15.	सुचेता कृपलानी*	ट्रावनकोर

भारतीय संविधान के भाग (Parts of Indian Constitution)

भाग-1- संघ और उसका राज्य क्षेत्र

(The Union and its Territory)* (अनु. 1-4)

भाग 1 से 25

भाग-2 - नागरिकता (Citizenship) (अनु. 5-11)

भाग-3 - मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) (अनु. 12-35)

भाग-4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व

(Directive Principles of State Policy) (अनु. 36-51)

भाग-4 क मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) (अनु. 51क)

भाग-5-संघ (The Union) (अनु. 52-151)

भाग-6-राज्य (The States) (अनु. 152-237)

भाग-7 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य (The States in Part 'B' of the first Schedule) (Repealed) - संविधान (सातवाँ) संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित।

भाग-8 - संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories) (अनु. 239-242)

भाग-9 - पंचायतें (The Panchayats) (अनु. 243-243ण) संविधान के 73वाँ संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अत: स्थापित।

भाग-9क - नगरपालिकायें (The Municipalities) (अनु. 243त-243य छ) संविधान के 74वाँ संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अन्त:स्थापित।

भाग-9ख-सहकारी समितियाँ* (Co-Operative Society) (अनु. 243 यज-अनु. 243 यन)

(संविधान के 97वाँ संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंत:स्थापित)

भाग-10- अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas) (अनु. 244,244क)

भाग-11 - संघ तथा राज्यों के मध्य सम्बन्ध (The Relations between The Union and the States) (अनु. 245-263)*

भाग-12 - वित्त, सम्पत्ति संविदाएं व वाद (Finance, Prop- erty, Contracts and Suits) (अनु. 264-300क)

भाग-13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम (Trade, Commerce and Inter course within the Territory of India) (अनु. 301-307)

भाग-14- संघ तथा राज्यों के अधीन सेवायें (Services under the Union and the States) (अनु. 308-323)

भाग-14क- अधिकरण (Tribunals) (अनु. 323क-323ख)

42वें सं. संशो. अधिनियम 1976 द्वारा अन्त:स्थापित।

भाग-15- निर्वाचन (Elections)* (अनु. 324-329क)

भाग-16 - कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध (Spe- cial Provisions Relating to Certain Classes) (अनु. 330- 342)

भाग-17 - राजभाषा (Official Language) (अनु. 343- 351)

भाग-18 - आपात उपबन्ध (Emergency Provisionst) (अनु. 352-360)

भाग-19 - प्रकीर्ण (Miscellaneous) (अनु. 361-367)

भाग-20 - संविधान संशोधन (Amendment of the Consti- tution) (अनु. 368)

भाग-21 - अस्थायी, संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबन्ध (Temporary Transitional and Special Provisions) (अनु. 369-392)

भाग-22 - संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (Short Title, Commencement Authoritative text in Hindi) (अनु. 393-395)

लोकहित वाद

PIL (Public Interest Litigation)

↳ जनहित याचिका (Petition) ↓

दायर ⇒ Supreme Court /
⇒ High Court

लोगों का हित

↳ शुरुआत ⇒ USA

↳ भारत में शुरुआत ⇒ बिहार की भागलपुर जेल से

ex. गांव → गंदगी

↓

वेजह ⇒ बीमारियां फैल रही।

↓

लोग

↳ प्रभावित ←

लोकहित वाद न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है। परम्परागत प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था। ऐसी स्थिति में किसी निर्धन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए यह सदैव सम्भव था

Public interest litigation is a new approach to the judicial process. According to the traditional process, only the aggrieved person could go to court to get justice. In such a situation, it was always possible for a poor or uneducated person.

कि वह न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाय। 1980 के लगभग आंग्ल विधि के उपरोक्त मत में परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया कि लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संस्था

So that he is deprived of getting justice from the court. Around 1980, changing the above opinion of English law, the Supreme Court adopted this new view that any person or institution motivated by public interest

किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है, जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अत: ऐसे वाद जो लोकहित के संरक्षण के उद्देश्य से न्यायालय में संस्थित किये जाते हैं लोकहित वाद कहलाते हैं। *

A person can file a suit in the court to enforce his constitutional or legal rights, who is unable to get justice from the court due to his poverty or any other reason. Therefore, such suits which are instituted in the court for the purpose of protecting public interest are called public interest suits.

लोकहितवाद की शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने किया था। भारत में इसकी शुरूआत भागलपुर (बिहार) की जेल में बन्दी रखे गये विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई थी।

Public interest litigation was initiated by the Supreme Court of the United States. In India, it started with the case of undertrial prisoners kept in Bhagalpur (Bihar) jail.

इनके सम्बन्ध में पुलिस आयोग के सदस्य के. एफ. रूस्तम जी ने एक लेख लिखा था तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने इस मामले को अनु. 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। जनहित याचिका की जननी

In this regard, Police Commission member K.F. Rustam ji had written an article and Advocate Mrs. Hingorani had raised this matter in the Supreme Court under Article 32.

भारत में लोकहित वाद को प्रारम्भ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती जो जुलाई 1985 से दिसम्बर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जाता है। *

The credit for starting public interest litigation in India goes to Supreme Court judge Justice P.N. Bhagwati who was the Chief Justice of India from July 1985 to December 1986 and Justice Krishna Iyer Sahib. *

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission

10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गयी। इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

Human rights were declared by the United Nations General Assembly on 10 December 1948. To protect these human rights, the National Human Rights Commission was formed in our country in October 1993.

यह एक संविधानोत्तर अथवा विधिक संस्था है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 था। इस अधिनियम में वर्ष 2006 के पश्चात पुनः वर्ष 2019 में संशोधन किया गया है। इस आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

It is a post-constitutional or legal institution. It was formed under an Act passed in the Parliament, named Protection of Human Rights Act, 1993. This Act has been amended again in the year 2019 after the year 2006. The head office of this commission is in Delhi.

मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। जिसमें एक अध्यक्ष व पाँच सदस्य होते हैं। उक्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए ऐसे व्यक्ति को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति होने की पात्रता होनी चाहिए।

The Human Rights Commission is a multi-member body. It consists of a chairman and five members. To become the chairman of the said commission, such a person must be eligible to be a retired Chief Justice of India or a Justice of the Supreme Court.

मानवाधिकार आयोग ⟹ विधिक संस्था

- स्थापना ⇒ Oct. 1993
- Head office ⇒ नई दिल्ली

→ 1 अध्यक्ष + 5 अन्य सदस्य

⇓

नियुक्ति ⇒ राष्ट्रपति

⇓

लेकिन समिति की सिफारिश पर

⇓

6 सदस्य ⇒ PM
⇒ गृहमंत्री
⇒ Speaker of LS
⇒ Chairman of RS
⇒ मुख्य विपक्षी दल नेता (LS / RS)

अध्यक्ष ⇐ Chief justice of S. Court / judge of S. Court

अध्यक्ष + सदस्य ⇒ कार्यकाल ⇒ 3 वर्ष / 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो।

(पहले कार्यकाल 5 वर्ष / 70 वर्ष की उम्र था ⇒ 2019 में संशोधन द्वारा परिवर्तित)

⇒ त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति

⇒ हटाने की प्रक्रिया

⇒ आधार < दुराचार (Misbehaviour)
अक्षमता (Incapacity)

⇒ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है लेकिन S.Court की जांच की रिपोर्ट के आधार पर

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में गठित छः सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, लोकसभाध्यक्ष, 1 राज्यसभा का उपसभापति तथा दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं।

The chairman and members of the commission are appointed by the President on the recommendation of a six-member committee headed by the Prime Minister. This committee consists of the Prime Minister, Home Minister, Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha (MP PCS: 14) and the leader of the main opposition party of both the houses.

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तक होता है तथा ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र होंगे। इन्हें अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है।

The tenure of the chairman and members of the commission is 3 years or 70 years, whichever is earlier, and they will be eligible for reappointment. They can be removed from their post only by the President on the basis of misconduct or incapacity after the investigation report of the Supreme Court.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ~~प्रथम~~ प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (2021) हैं

The first chairman of the National Human Rights Commission was Justice Ranganath Mishra. Its current chairman is Justice Arun Kumar Mishra (2021)